प्रेषक,

मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर ।

सेवा में,

प्रबन्धक
वीर सुभाष मैमो0 प0 जू0 हा0 स्कूल
नकुड़ रोड़(बलियाखेड़ी)
जनपद,सहारनपुर ।

पंत्राकः– प्रबन्ध / 485-87 /2007–08 दिनॉक :– 28-1-2008

<u>विषयः– जूनियर स्तर की अस्थायी मान्यता की स्वीकृति ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन पंत्र एंव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या के आधार पर मण्ड़लीय मान्यता समिति की बैठक दिनॉक 14–01–2008 में लिए गये निर्णयानुसार राजाज्ञा संख्या 646/15–06–917–18 एस (7)89/शिक्षा (6)अनुभाग लखनऊ दिनॉक 13 अगस्त 1997 में किये गये प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नांकित कतितय प्रतिबन्धों के साथ आपके विद्यालय को जूनियर हाई स्कूल (कक्षा 6 से 8 तक) स्तर की अस्थायी मान्यता प्रदान की जाती है ।

प्रतिबन्धः–

1:– प्रबन्धाधिकारण को अपने कर्मचारियों और शिक्षको को न्यूनतम वेजेजऐक्ट के तहत चैक द्वारा वेतन भुगतान करना होगा ।

2:– विद्यालय में छात्रों के चरित्र निर्माण से सम्बन्धित एंव राष्ट्रीय एकता,राष्ट्र ध्वज का सम्मान व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्राप्ति के लिए जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से करवाया जाये ।

3:– समिति के पंजीकरण का समयानुसार नवीनीकरण कराया जाये ।

4:– शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा तथा विद्यालयों की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से रखा जायेगा । भवन शुल्क/कैपिटेशन फीस के रूप में कोई धनराशि विद्यार्थियों से लिया जाना वर्जित होगा ।

5:– मान्यता प्राप्त विद्यालय अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान मंहगाई भत्ता देने का जिम्मेंदार होगा जो परिषद क समान अर्हता वाले शिक्षक /शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का प्राप्त हो रहें होगे ।

6:– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई सैक्शन न तो बन्द किया जायेगा और न खोला जायेगा,न समाप्त किया जायेगा ।

7:– विद्यालय में शिक्षा का माध्यम देवनागरी लिपि होगी, हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाई जायेगी । विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग नही किया जायेगा ।

8:— विद्यालय में सभी वर्ग,धर्म तथा जाति के बच्चों का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा ।

9:— विद्यालय में समस्त प्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाये तथा विभाग से उनका उनुमोदन प्राप्त किया जाये ।

10:— विभागीय आदेशों का पालन किया जायें ।

11:— विद्यालय के समस्त स्थायी अध्यापक/अध्यापिकाओं पर भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जायें ।

12:— विद्यालय का निरीक्षण शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी किया जा सकता है । विद्यालय शिक्षा विभाग के नियमों और समय –समय पर जारी कियें गयें निदेशों का पालन करेगाा ।

13:— विभागीय आदेशों /नियमों की अवहेलना करने पर मान्यता समाप्त की जा सकती है ।

14:— अग्निशमन संयन्त्रों की समुचित व्यवस्था की जायें ।

भवदीय
Y.Singh

मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर ।

पृ0सं0:— प्रबन्ध / /2007—08 तद्दिनॉक ।

1:— अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक),उ0 प्र0 इलाहाबाद ।

2:— सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद् उ0प्र0 इलाहाबाद ।

3:— जिला बेसिक शिक्षा, सहारनपुर ।

4:— उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहारनपुर ।

5:— सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, विकास क्षेंत्र बलियाखेड़ी जनपद सहारनपुर ।

मण्ड़लीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
सहारनपुर मण्ड़ल सहारनपुर ।